न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा मुन्तकिली प्रकरण सं. 110/2024 (GCMS 2024/157)

बलविन्द्र सिंह उर्फ हरिन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख जाति जटसिख निवासी चक 10बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **इकबाल सिंह** पुत्र श्री माला सिह जाति जटसिख निवासी चक 10 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **सुखदेव सिंह** पुत्र श्री माला सिंह जाति जटसिख निवासी चक वजीतपुरा भामा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. **पाल कौर** पुत्री श्री माला सिंह पत्नी श्री सिमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 ए एस ढाणी पूर्व सरपंच मलकीत सिंह की ढाणी तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़
4. **गुरमेल कौर** पुत्री श्री माला सिंह पत्नी सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 74 जीबी तहसील व जिला अनूपगढ़
5. **प्रकाश कौर** पुत्री माला सिंह पत्नी ठाना सिंह जाति जटसिखनिवासी 7 बीएनडब्ल्यू पो.ऑ. बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5/1 **बलराज सिंह** पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी 7 बीएनडब्ल्यू, पो.ऑ. बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5/2 **गुरदास सिंह** पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी 7 बीएनडब्ल्यू, पो.ऑ. बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5/3 **रणधीर सिह** पुत्र ठाना सिंह जाजि जटसिख निवासी 7 बीएनडब्ल्यू , पो.ऑ. बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

6. **उपखण्ड अधिकारी,** राजस्व पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>26.11.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित हुए।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि

प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, [illegible] न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 158/2024 अनवा[illegible] [illegible] सिंह उर्फ हरिन्द्रपाल सिंह वगै. बनाम इकबाल सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 88, 188 [illegible] काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना व्यक्त कर, अन्यत्र [illegible]म न्यायालय में मुन्त[illegible] करने की प्रार्थना के साथ पेश किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण, प्रकरण को खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 158/2024 अनवानी बलविन्द्र सिंह उर्फ हरिन्द्रपाल सिंह वगै. बनाम इकबाल सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब चूंकि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested